

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।**

आज दिनांक- 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:-30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपदीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
जनपद महोबा में बीट कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़
बनाये जाने हेतु थानों से आये बीट आरक्षियों की
बीट बुक को चेक किया गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-**

जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं जनसुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आज दिनांक: 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में बीट प्रणाली की समीक्षा की गई। बैठक में जनपद के प्रत्येक थाने से एक-एक बीट आरक्षी को आमंत्रित कर उनकी बीट बुक का अवलोकन एवं निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक ने बीट आरक्षियों को बीट प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से अपने-अपने बीट क्षेत्रों में भ्रमण करें एवं बीट बुक को अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखें। उन्होंने यह भी कहा कि बीट पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में सतत सक्रियता बनाए रखें, आमजन से संवाद स्थापित करें, सूचनाओं का समय से संकलन करें तथा सभी प्रविष्टियों को पूर्ण, प्रामाणिक एवं पारदर्शी ढंग से दर्ज करें।

पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान बीट बुक चेक करते हुए पुलिस की प्राथमिकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसी उत्तरदायी कार्यशैली से पुलिस और जनमानस के बीच विश्वास की डोर और अधिक मजबूत होगी, जिससे अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी एवं कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा।



30/04/2025 14:20

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 प्रकाश सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त आत्माराम अहिरवार पुत्र काशीराम प्रसाद अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रतौली थाना कोतवाली नगर महोबा को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रतौली के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 196/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण व बरामदगी-

अभियुक्त आत्माराम अहिरवार पुत्र काशीराम प्रसाद अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रतौली थाना कोतवाली नगर महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह परिहार चौकी प्रभारी पसवारा थाना कोतवाली नगर
2. का0 पंकज कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा



थाना अजनर की पुलिस टीम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त जेल भेजा गया है...

दिनांक: 29.04.2025 को थाना अजनर क्षेत्रन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा इस दुस्साहसिक घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, महिला सम्बन्धी अपराध के प्रकरण में संवेदनशील होते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर में मु.अ.सं. 96/2025 धारा- 70(2)/351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5, 3(2)5 क, एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उक्त दुस्साहसिक घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर, श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित पुलिस टीम ने घटना से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.प्रिंस राजपूत पुत्र चरन उम्र 20 वर्ष 2.प्रमोद अनुरागी पुत्र रामस्वरूप उम्र 26 वर्ष निवासीगण ग्राम बछेछरकला थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम बछेछरकला से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अजनर, सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का0 भरत सिंह 3. म0का0 प्रियंका गौतम

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. प्रिंस राजपूत पुत्र चरन उम्र 20 वर्ष
2. प्रमोद अनुरागी पुत्र रामस्वरूप उम्र 26 वर्ष

निवासीगण ग्राम बछेछरकला थाना अजनर जनपद महोबा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 96/2025 धारा 70(2)/351(3) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5, 3(2)5 क, एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट ।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा निरीक्षक संतोष कुमार दुबे को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर दी गई भावुक विदाई-

आज दिनांक- 30.04.2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए पुलिस अधीक्षक महोबा के वाचक निरीक्षक श्री संतोष कुमार दुबे को आज पुलिस कार्यालय महोबा में एक भावभीने विदाई समारोह में सम्मानपूर्वक विदा किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा निरीक्षक सन्तोष कुमार दुबे को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके परिवारीजन भी उपस्थित रहे, जिससे समारोह और अधिक आत्मीय एवं भावुक बन गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने सेवानिवृत्त हुए निरीक्षक की पुलिस सेवा में की गई सराहनीय उपलब्धियों और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं हैं।

विदाई समारोह में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह सहित अन्य अधिकारीगण एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे और सभी ने निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार दुबे को सम्मानपूर्वक विदाई दी।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सदर मलखाने हेतु चिन्हित स्थान का किया गया भौतिक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...

जनपद महोबा में मुकदमाती मालों के सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखरखाव के लिए प्रस्तावित सदर मालखाने भवन के निर्माण हेतु चिन्हित स्थान का आज दिनांक- 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने नई भवन संरचना से संबंधित ड्राइंग/नक्शों का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्य में गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं त्वरित प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इस अवसर पर आर.आई. शिवकुमार, कार्यदायी संस्था के इंजीनियर एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा जनपद में अवैध शस्त्र के निर्माण व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 तवरेज आलम व उ0नि0 अवनीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजपाल वहेलिया पुत्र रामवरन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम नगलाऊसर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम परथनिया थाना खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. राजपाल वहेलिया पुत्र रामवरन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम नगलाऊसर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 तवरेज आलम खां
2. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
3. कां0 प्रवीण कुमार यादव
4. कां0 शिवबाबू यादव



अक्षय तृतीया पर्व व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत सवेदनशील स्थानों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में की गई पैदल गश्त/

चेकिंग कर सराफा बाजार आदि में पैदल गस्त कर व्यापारियों से संवाद किया गया

* पैदल गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों, शराब के दुकानों व सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों की चेकिंग की गई।

* शराब पीकर वाहन चलाने वाले व सार्वजनिक रूप से शराब पीने वालों की ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

★ यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 172 वाहनों के ई-चालान कर 1,58,500/- रुपये (एक लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

आज दिनांक:- 30.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा अक्षय तृतीया पर्व व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में सुदृढ़ सुरक्षा एवं बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा अराजकतत्वों पर पैनी नजर रखे जाने के उद्देश्य से थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत शहर के व्यस्ततम स्थलों क्रमशः तहसील चौराहा, आल्हा चौक, ऊदल चौक, सराफा बाजार, झलकारीबाई तिराहा, परमानंद चौक इत्यादि स्थलों में भारी पुलिस बल के साथ संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाली जगहों तथा प्रमुख कस्बों/बाजारों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों में पैदल गस्त किया गया।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सराफा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने व उनसे संवाद कर सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

पैदल गस्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन व चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गयी। इस दौरान यातायात जागरूकता पम्पलेट को वाहनों पर चस्पा कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा यातायात नियमों का पालन किये/कराये जाने हेतु अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन/अनुज्ञापियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 172 वाहनों के ई-चालान कर 1,58,500/- रुपये (एक लाख अठ्ठावन हजार पांच सौ रुपये) का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

